



उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-1424/2026/2300/22-2-2025-17(1219)/2022
लखनऊ: दिनांक: 14 अक्टूबर, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी शब्बू (बन्दी संख्या-51745) पुत्र श्री बाबू, निवासी- ग्राम-पठानों वाली मिलक, थाना-भगतपुर, जनपद-मुरादाबाद, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-197/1998 व 199/1998 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 452 व 25 ए एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-03, मुरादाबाद के दण्डादेश दिनांक 23.07.2010 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 12.04.2019 एवं मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 22.07.2020 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए मा० सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 11.10.2025 तक अपरिहार 15 वर्ष, 07 माह, 00 दिन तथा सपरिहार 20 वर्ष, 03 माह, 29 दिन की सजा भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरुद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1424/2026/2300(1)/22-2-2025 तदुदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
- 2- जिला मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद।
- 3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद।
- 4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
- 5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
- 7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।